उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN:U32201UP1999SGC024928.

संख्या–2054–अधि0प्रब0–03/पाकालि/19–10(3)ई0एम0–03/06 दिनांक : 27 दिसम्बर, 2019

अवमानना प्रकरण

लेखाधिकारी (पेंशन),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

समय सीमा
दिनांक 03.02.2020

**विषय** : मा0 अधिकरण की निर्देश याचिका संख्या–1609/2006, श्री महेश चन्द्र गुप्ता बनाम उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 व अन्य में सेवानैवृत्तिक ग्रेच्युटी पर ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

श्री महेश चन्द्र गुप्ता (86278), तत्कालीन सहायक अभियन्ता के विरुद्ध, मुख्यालय स्तर पर 02 अनुशासनिक कार्यवाही प्रकरण लम्बित होने के कारण ग्रेच्युटी का भुगतान विलम्ब से हुआ, जिसमें 01 अनुशासनिक कार्यवाही प्रकरण का निस्तारण दिनांक 16.07.2003 व दूसरे अनुशासनिक कार्यवाही प्रकरण का निस्तारण दिनांक 19.04.2005 को होने के उपरान्त ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया था।

श्री गुप्ता को ग्रेच्युटी का भुगतान विलम्ब से प्राप्त होने के कारण मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में निर्देश याचिका संख्या–1609/2006, श्री महेश चन्द्र गुप्ता बनाम उ0प्र0पा0का0लि0 व अन्य निवेशित की गयी थी, जिसमें दिनांक 11.12.2018 (छायाप्रति संलग्न) को मा0 अधिकरण ने वादी श्री गुप्ता को सेवानैवृत्तिक ग्रेच्युटी रु0 3.5 लाख के विलम्ब से भुगतान के लिये 08 प्रतिशत साधारण ब्याज देय तिथि 01.05.2003 से 06.07.2005 तक भुगतान किये जाने के आदेश पारित किये थे।

मा0 अधिकरण के उक्त आदेशों के विरुद्ध कारपोरेशन की ओर से पुनर्विचार याचिका संख्या–18/2019 निवेशित की गयी। मा0 अधिकरण ने दिनांक 05.11.2019 (छायाप्रति संलग्न) को कारपोरेशन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है, जिसमें मा0 अधिकरण ने पहले अनुशासनिक कार्यवाही प्रकरण के निस्तारण दिनांक 16.07.2003 के ही आधार पर वाद निर्णीत किया है।

उक्त निर्णय के आधार पर वादी श्री महेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता ने मा0 अधिकरण के समक्ष अवमानना याचिका संख्या–377/2019, दिनांक 10.12.2019 को प्रस्तुत की है, जिसमें मा0 अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 11.12.2018 की अनुपालन आख्या दिनांक 03.02.2020 तक उपलब्ध कराये जाने के आदेश प्रदान किये हैं।

अतः मा0 अधिकरण के निर्णय दिनांक 11.12.2018 के अनुपालन में श्री महेश चन्द्र गुप्ता (अभिज्ञान संख्या–86278, सम्प्रेक्षा संख्या–एम–355) सेवानिवृत्त प्रोन्नत सहायक अभियन्ता को भुगतान की गयी सेवानैवृत्तिक ग्रेच्युटी पर दिनांक 01.05.2003 से दिनांक 06.07.2005 तक विलम्ब हेतु 08 प्रतिशत साधारण ब्याज का भुगतान किये जाने की प्रशासनिक अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया कृत कार्यवाही से अधिशासी प्रबन्ध अनुभाग–03 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

**संलग्नकः यथोपरि।**

भवदीय,

( हिमांशु वार्ष्णेय )
उप सचिव (अधि0प्रब0–03)

**संख्या–2054(I)–अधि0प्रब0–03/पाकालि/19, दिनांक : 27 दिसम्बर, 2019**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

स्पीड पोस्ट

1– रजिस्ट्रार, उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ को अवमानना याचिका संख्या–377/2019 श्री महेश चन्द्र गुप्ता बनाम उ0प्र0पा0का0लि0 में नियत दिनांक 03.02.2020 के सन्दर्भ में निर्देश याचिका संख्या–1609/2006 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2018 के अनुपालन में।

स्पीड पोस्ट

2– श्री मोहन अग्रवाल, अधिवक्ता, आवास संख्या–5/89, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को उक्त अनुपालन से मा0 अधिकरण को अवगत कराने हेतु।

( हिमांशु वार्ष्णेय )
उप सचिव (अधि0 प्रब0–03)

**संख्या–2054(II)–अधि0प्रब0–03/पाकालि/19, दिनांक : 27 दिसम्बर, 2019**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

पंजीकृत

1– प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2– उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उपर्युक्त संलग्नकों सहित।

पंजीकृत

3– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, प0वि0वि0नि0लि0, जनपद हापुड़।

4– अधिशासी अभियन्ता (वेब0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत

5– श्री महेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, मकान नं0–1161, नई शिवपुरी, जनपद–हापुड़।

6– कट फाइल।

( हिमांशु वार्ष्णेय )
उप सचिव (अधि0 प्रब0–03)